<u>श्रमिक संघ नियमावली</u>

1. **<u>संघ का नाम</u>** भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ (BKMS) होगा।

2. **<u>पता</u>**– संघ के प्रधान कार्यालय का पता तरंगा, चन्द्रपुरा, बोकारो, झारखण्ड (यदि इस कार्यालय के पते में कोई परिवर्तन होगा, तो ऐसे परिवर्तन का प्रभावी होने की तारीख में 14 दिनों के भीतर सभी सम्बद्ध व्यक्तियों एवं निबंधक, श्रमिक संघ, झारखण्ड को इसे सम्यक रूप से सूचित किया जायेगा।)

3. **<u>संघ का मुहर</u>** संघ एक निगम निकाय होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी। निबंधक श्रमिक संघ के पास पेश किये जाने वाले सभी संघ मुहर लगी रहेगी।

4. **<u>संघ के निम्नलिखत उद्देश्य होंगेः–</u>**

(क) कोल इंडिया एवं बिजली विभाग डी0भी0सी0, सेल तथा सरकारी एवं गैरसरकारी उद्योग संस्थान में काम करने वाले कर्मचारियों मजदूरों को संगठित करना।

(ख) सदस्यों, के अधिकारों और हितों की रक्षा करना तथा सदस्यों और उनके नियोजकों के बीच संबंध नियमित करना।

(ग) उनके लिए जीवन और काम के लिए उचित शर्त सुनिश्चित करना।

(घ) बेहतर मजदूरी एवं काम की शर्तों के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना

(ङ) दुर्घटना की दशा में सदस्यों को नियोक्ता से कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के तहत प्रतिकर दिलवाने का प्रयत्न करना।

(च) बीमारी, बुढ़ापा, बेकारी, दुर्घटनाऔर मृत्यु की दशा में सदस्यों एवं उनके आश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था के लिए प्रयत्न करना।

(छ) नियोजक और कर्मचारी के बीच के संबंध को सुधारने का प्रयत्न करना।

(ज) समान उद्देश्यों वाले कामगारों के अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना और उनके साथ सम्बद्ध होना।

(झ) ऊपर उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामान्यतः ऐसे अन्य प्रयास करना जो आवश्यक हो।

(ञ) उनकी समितियों में बाल समिति तथा कार्यावली में बाल श्रम उन्मूलन को सम्मिलित करना।

(ट) विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों में नियोजित बाल श्रमिकों के बारे में सुचना देना।

(ठ) श्रमिक संघ संगठनों तथा इसके सदस्यों में यह जागृति फैलाना की वे अपने बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कार्य करने की अनुमति न दें तथा किसी बच्चे को नियोजित न करें।

(ड) सदस्यों की क्षमता में अभिवृद्धि करना जिससे वे अनौपचारिक क्षेत्रों में बालश्रम को रोकने हेतु कार्य कर सकें।

(ढ़) उनके कार्यक्षेत्रों में बाल श्रमिक चिन्हित होने पर अभियोजन हेतु कार्रवाई करना।

5. **तरीका–**संघ अपने उद्देस्यों की पुर्ति के लिए बराबर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनायेगा और हिंसात्मक कार्रवाई या ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा, जो समाज और राष्ट्र के लिए हानिकारक हो।

6. **साधारण सदस्य–** भारतीय क्रांतिकारी मजदूर संघ (BKMS) में नियोजित 18 (अठारह) या उससे अधिक उम्र का कर्मचारी संघ के साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने का पात्र होगा, बशर्ते वह संघ द्वारा बनाई गयी या समय–समय पर बनायी जाने वाली नियमावली और उप–विधियों का पालन करने के लिए सहमत हो। साधारण सदस्य को संघ का सदस्य बनने पर 25/– (पच्चीस) रूपया प्रवेश शुल्क तथा रूपये वार्षिक चन्दा (50/–मासिक चंदा) के रूप में देना होगा। वार्षिक चन्दा (600/–) वर्ष की प्रथम तिमाही के भीतर देना होगा। मासिक चन्दा माह के प्रथम सप्ताह में देना होगा। जो सदस्य वर्ष की द्वितीय तिमाही के सप्ताह होने के पूर्व लगातार तीन महीने तक अपना चन्दा नहीं चुकायेगा वह संघ का सदस्य नहीं रह जायेगा तथा वह सदस्य न रह जाने की तारीख से संघ की ओर से किसी भी लाभ का अपना दावा खो देगा। किन्तु कार्यकारिणी समिति ऐसे व्यक्ति को फिर से सदस्य बना सकेगी जो अपने चन्दे का बकाया और प्रवेश शुल्क के बराबर पूर्व प्रवेश शुल्क चुका देगा। संघ का कार्य वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक होगा।

7. **मान्यक (आननेरी) सदस्यः–** जो व्यक्ति उपर्युक्त नियम के अधीन साधारण सदस्य के रूप में प्रवेश पाने के पात्र न होंगे वे संघ के कार्यकारिणी समिति के लिए निर्वाचित या सहयोजित (को–अ०प्ट) होने के प्रयोजनार्थ संघ के मान्यक (आननेरी) सदस्य बनाये जा सकेंगे। ऐसे मान्यक सदस्यों की संख्या किसी भी समय कार्यकारिणी समति की कुल संख्या के आधे से, इसमें जो भी कम हो, अधिक न होगी।

8. **सदस्य पंजीः–** सदस्यों की जिसके अन्तर्गत मान्यक सदस्य भी हैं, एक पंजी होगी जिसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, उम्र, पता और पेशा दिया रहेगा। यह पंजी संघ के निबंधित कार्यर्यालय में रखी रहेगी तथा जिम्मेवार पदाधिकारियों द्वारा समुचित रूप से भरी जायेगी।

संघ का कोई भी सदस्य या पदधारी निरीक्षण करने के तीन दिनों की पूर्व सुचना देकर सप्ताह में किसी भी दिन संघ के सामान्य कार्यालय समय में इस पंजी का निरीक्षण कर सकेंगे।

9. **<u>सदस्यों का निष्कासन (हटाया जाना):–</u>** जालसाजी का काम करना या संघ के हितों के प्रतिकूल कार्य करने कारण संघ के कोई भी सदस्य जिसके अन्तर्गत कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं। सदस्यों को आम सभा के बैठक के निर्णय से संघ की सदस्यता से निष्काषित किये जा सकेंगे। परन्तु निष्काषित किये जाने वाले सदस्यों को अपने आचरण की औचित्य स्पष्ट करने का पार्याप्त अवसर दिया जायेगा।

10. **<u>सामान्य बैठक (आम सभा)</u>:–** निम्नलिखित कार्यो के संचालन के लिए प्रतिवर्ष संघ के सभी सदस्यों की एक सामान्य (आम) वार्षिक बैठक होगी। –

(क) संघ द्वारा किये गए कार्यो की रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा वितरण को पारित करना।

(ख) अगले वर्ष के लिए संघ पदधारियों का निर्वाचन करना।

(ग) अध्यक्ष की अनुमति से पेश किये गये किसी अन्य कार्यक्रम को सम्पादित करना।

वार्षिक सामान्य बैठक (आम–सभा) के लिए कोरम संघ की पंजी में दर्ज सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई का होगा। सदस्यों को सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व दी जायेगी, जो संघ को सूचना पट्ट पर नोटिस चिपका कर और संघ के सदस्यों के बीच छपी नोटिस बंटवा कर दी जायेगी। जब अध्यक्ष संघ के सदस्यों की सामान्य बैठक बुलाना आवश्यक समझें, तब वह कार्यकारिणी समिति की सहमति से एक ऐसी बैठक बुला सकेंगे ऐसी बैठक वह संघ के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षरित भाग पर भी, मांग किये जाने के 30 दिनों के भीतर बुलायेगा। यदि अध्यक्ष मांग किये जाने के 30 दिनों के भीतर ऐसी बैठक नहीं बुलायेगा, की मांग करने वाले सदस्यों को अधिकार होगा वे ऐसी बैठक सात दिनों की नोटिस देकर बुला लें, जिस नोटिस में यह उल्लेखित रहेगा कि किस निश्चित तारीख को बैठक बुलयी जा रही है। मांग करने वाले सदस्यों को केवल उन्हीं मदों पर विचार–विमर्श करने का अधिकार होगा, जो मद प्रथम मांग नोटिस में शामिल होंगे।

11. **<u>कार्यकारिणी समिति का चुनाव</u>**:– सदस्यों का सामान्य निकाय संघ के सभी मामलों पर नियंत्रण रखेगा, तथा सदस्यों की कार्यकारिणी समिति जिसके अंतर्गत महामंत्री जयराम कुमार महतो, अध्यक्ष

अजय कुमार महतो, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश कुमार, सचिव कृष्णा कुमार महतो, कोषाध्यक्ष सत्यप्रकाश महतो भी है, संघ का प्रशासन चलायेगी। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, समिति में निर्वाचन या नाम निर्देषित नहीं किया जायेगा। कार्यकारिणी समिति के सदस्य जिसके अन्तर्गत पदधारी भी हैं, प्रत्येक तीन वर्ष पर संघ की वार्षिक सामान्य बैठक में चुने जायेंगे और वे तब तक पदधारण किये रहेंगे जब तक कि पदधारियों का अगला चुनाव नहीं हो जाता किन्तु किसी भी परिस्थिति में संघ की कार्यकारिणी का कार्यकाल तीन वर्ष से अधिक का नहीं होगा। सदस्यों की मृत्य, पद त्याग या निष्कासन के फलस्वरूप कार्यकारिणी समिति में होने वाली रिक्तियाँ कार्यकारिणी समति द्वारा भरी जायेगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक या इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से बुलायी गयी (किसी भी सामान्य बैठक, मांग किये जाने पर बुलायी गयी) बैठक में पदधारियों का अगला चुनाव होने तक पदधारण करते रहेंगे। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को जिनके अन्तर्गत पदधारी भी है। कार्यकाल समाप्ति के पूर्व ही संघ की सामान्य बैठक इस निमित विशेष रूप से बुलायी गयी बैठक में उनके विरुद्ध अलग-अलग या सामुहिक रूप में अविश्वास प्रस्ताव पास कर पद से हटाया जा सकता है। इस तरह हटाये जाने के चलते हुई रिक्तियों संघ के सामान्य निकाय द्वारा भरी जायेगी।

हर दो महीने पर कार्यकारिणी समिति की कम से कम एक बैठक होगी। सभापति की सहमति से महामंत्री बैठक बुलायेगा और कार्यावली सहित इस तरह की बैठक की सूचना बैठक के कम से कम तीन दिन पहले कार्यकारिणी समिति के हरेक सदस्य को दे दी जायेगी। कार्यकारिणी की बैठक का कोरम इसके कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्य से पूरा होगा।

कार्यकारिणी समिति को यह शक्ति प्रदत होगी कि संघ के किसी भी सदस्य को जिसके अन्तर्गत उसका पदधारी भी है, पर्याप्त कारण से साधारण बहुमत द्वारा मुअत्तल कर दे बशर्ते कि यह विषय बैठक की कार्यावली में शामिल कर लिया गया हो और इसके लिए सामान्य निकाय का अंतिम अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये। हरेक बैठक में कार्यकारिणी समिति महामंत्री से रिपोर्ट प्राप्त करेगी, और लेखा प्राप्त करेगी। यह समान्यतः संघ और इसके पदधारियों के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करेगी, किन्तु इन पर अंतिम निर्णय सामान्य निकाय को होगा। संघ की वार्षिक रिपोर्ट और अंकेक्षित लेखा वार्षिक सामान्य बैठक में रखे जाने के पहले कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे।

12.**पदाधिकारियों के कर्तव्य** – (1) समापति (अध्यक्ष) संघ के सभी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। वह संघ की कार्यकारिणी समिति और सामान्य बैठक की अध्यक्षता करेगा और इनके कार्यों का संचालन करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अध्यक्ष को ₹ 5000/– रूपये तक खर्च करने का प्राधिकार देने की शक्ति होगी, किन्तु इसके लिए अगली बैठक में कार्यकारिणी समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लेना होगा।

(II) **कार्यकारी अध्यक्ष**– उप शाखा का गठन करना, संघ के लिए भवन भूमि एवं उपस्कर की व्यवस्था करना, संघ के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य अध्यक्ष या महामंत्री द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर सम्पादन करना।

(III) **उपाध्यक्ष**– अध्यक्ष को दैनन्दिनी कार्यों में सहायता करेगा और वह उसकी अनुपस्थिति में उसके स्थान पर कार्य करेगा।

(IV) महामंत्री संघ का मुख्य प्रशासी पदाधिकारी होगा और निम्नलिखित बातों के लिए उत्तरदायी होगा।

(क) सामान्य निकाय, कार्यकारिणी समिति और सभापत्ति के सभी अनुदेशों को कार्यान्वित करना।

(ख) संघ की ओर से पत्राचार करना।

(ग) सभी बैठकों का कार्यक्त अभिलिखित करना।

(घ) सदस्यता पंजी तथा अन्य बहियों और पंजियों (लेखा बहियों और पंजियों को छोड़कर रखना)

(ङ) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के परामर्श से कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाना और उसके लिए सूचना एवं कार्यावली (एजेण्डा) निर्गत करना।

(च) ऐसा वितरण और अन्य दस्तावेज उपस्थापित करना, जो ट्रेड युनियन अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत उपस्थापित किये जाने के लिए अपेक्षित हो।

(छ) कार्यकारिणी समिति के मंजूरी के बिना प्रतिमाह अगली बैठक में उसका अनुमोदन कर लेना होगा और रूपये तक खर्च करना, किन्तु उसे अगली बैठक में उसका अनुमोदन कर लेना होगा और

(ज) कार्यकारिणी समिति की हरेक बैठक में खर्च की रिपोर्ट और लेखा अनुमोदनार्थ उपस्थापित करना।

(V) **सचिव**– संघ के कार्यालय में संधारित दस्तावेजों की देखभाल करेगा एवं अध्यक्ष की अनुमति से किसी स्थानसभाध्कार्यालय में संघ का प्रतिनिधित्व करेगा।

(VI) **कोषाध्यक्षः–** संघ का लेखा रखेगा और देय रकम बसूलेगा और उसके लिए रसीद देगा तथा उचित प्राधिकृत भाउचर पर भुगतान करेगा।

13. **संघ के लेखे का निरीक्षण और अंकेक्षण –** संघ के पास एक सामान्य निधि होगी, जिसका संग्रह सदस्यों के चन्दे, दान और अन्य विविध श्रोतों से किया जायेगा। महामंत्री बिहार ट्रेड युनियन नियमावली, 1928 के विनियम 15 के अनुसार कार्यकारिणी समिति द्वारा अंकेक्षण या अंकेक्षकों के जरिये 31 दिसम्बर की समाप्ति होने वाले हरेक वर्ष के लेखे के वर्षिक अंकेक्षण के लिए यथोचित व्यवस्था करेगा। यदि संघ का कोई पदधारी या सदस्य संघ की लेखा बही का निरीक्षण करना चाहे तो वह संघ के कार्यालय में निरीक्षण के लिए कम से कम तीन दिनों की सूचना देकर अवकाश दिन को छोडकर सप्ताह के किसी भी दिन सामान्य कार्यकाल में लेखा बही का निरीक्षण कर सकेगा। इसी तरह संघ का लेखा निबंधक, श्रमिक संघ द्वारा निरीक्षण के लिए भी संघ के कार्यालय में या उसके द्वारा यथानियत स्थान में उपलब्ध रहेगा।

14. प्रयोजन, जिनके लिए संघ की सामान्य निधियाँ निम्नलिखित से भिन्न किन्हीं उद्देश्यों पर व्यय नहीं की जायेगी।

नामत–

(क) संघ के पदाधिकारीयों के वेतन, भत्तों और व्ययों का भुगतान।

(ख) श्रमिक संघ के प्रशासन के लिए व्ययों का भुगतान जिसके अन्तर्गत श्रमिक संघ की साधारण निधियों के लेखाओं का अंकेक्षण भी सम्मिलित है

(ग) ऐसी कोई वैधिक कार्यवाही चलाना जिसमें ट्रेड यूनियन या उसका कोई सदस्य एक पक्षकार (पार्टी) हो। बशर्ते ऐसी कार्यवाही या उसकी प्रतिवादी कार्यवाही ट्रेड युनियन के किसी अधिकार की अथवा संघ के किसी सदस्य को उसके नियोजक के साथ या उसके द्वारा नियोजित किसी भी व्यक्ति के साथ संबंध के चलते होने वाले किसी अधिकार की प्राप्ति या उसकी रक्षा के लिए चलायी जाय।

(घ) श्रमिक संघ या उसके किसी सदस्य की ओर से श्रम विवाद (मालिक मजूदर के झगड़े) का संचालन,

(ङ) श्रम विवाद (Trade Disputes) के कारण हुई क्षति के लिए सदस्यों को प्रतिकर का दिया जाना।

(च) सदस्यों की मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी, दुर्घटना, शारीरिक असमर्थता या बेरोजगारी के कारण सदस्यों या उनके आश्रितों को भते।

(छ) सदस्यों को जीवन बीमा पोलिसीयों एवं बिमारी, दुर्घटना या बेरोजगारी के विरूद्ध सदस्यों का बीमार करनेवाली पोलिसीयों का दिया जाना या उसके अन्तर्गत दायित्व का ग्रहण,

(ज) सदस्यों 'या उनके आश्रितों के लिए शैक्षणिक, सामाजिक या वार्षिक सुविधाओं से संबंधित्त, खर्च जिसमें मृत सदस्यों के अंतिम संस्कार या धार्मिक अनुष्ठान का खर्च भी शामिल है।

(झ) मुख्यतः नियोजकों का या कर्मकारों पर उनकी उस हैसियत से प्रभाव डालनेवाले प्रश्न पर विवेचन करने के प्रयोजन के लिए पत्र–पत्रिकाओं का सम्पादन, प्रकाशन, संचालन करना।

(ञ) ऐसे किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च जिसके लिए श्रमिक संघ की सामान्य निधि से खर्च किया जा सकता है अथवा सामान्य कर्मकारों के फायदे के लिए अभिप्रित किसी भी मद में अंशदान, परन्तु किसी वर्ष ऐसे अंशदान के सम्बंध में किया जानेवाला खर्च तस वर्ष श्रमिक संघ की सामान्य निधि में उस समय तक हुई सकल आय और उस वर्ष के आरम्भ में उस निधि में जमा अतिशेष (बैलेंस) के कुल जोड़ की एक–चौथाई रकम से अधिक नहीं होगा तथा

(ट) अधिसूचना में अन्तर्विष्ट किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए कोई अन्य उद्देश्य जो शासकीय गजट में समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

15. **<u>संघ की सामान्य निधि और उसकी निरापद अभिरक्षा</u>**– संघ की सामान्य निधि अन्तर्गत्त निम्नलिखित रकमें होंगी।

(i) प्रवेश शुल्कः ₹25/–

(ii) चन्दा

(iii) संघ के सामान्य या किसी खास प्रयोजन के लिए सदस्यों से संग्रह किया गया दान या अतिरिक्त चंदा।

(iv) मैचों, नाटकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों या ऐसे अन्य मनोरंजनों के जरिये, जो खासकर कर्मकारों और सामान्यतः सोसायटी के लिए लाभदायक हो, संग्रह की गई रकम।

(संघ नियोंजको से दान स्वीकार नहीं करेगा)

उपर्युक्त श्रोतों से संग्रह की गयी रकम कार्यकारिणी समिति द्वारा गथा अनुमोदित बैंक या बैंको में संघ के नाम से जमा की जायेगी तथा उक्त लेखे का संचालन उसके अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष चालु खर्च के लिए अपने पास अधिक से अधिक 20,000.00/– (बीस हजार) रूपये रखेगा।

16. **राजनीतिक प्रयोजनों के लिए पृथक निधि खोलना** संघ एक पृथक ऐसे अंशदानों के गठन कर सकेगा जो उस निधि के लिए पृथकतः उद्‌गृहित किये गये हों, जिसमें से मुगतान श्रमिक संघ अधिनियम की धारा–16 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों में से किसी को अग्रसर करने में उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के अधिवृद्धि के लिए किये जायें। संघ का सदस्य होने के लिए उक्त निधि में चन्दा देना जरूरी नहीं होगा और कोई भी सदस्य चन्दा देने से इन्कार करें तो वह इससे किस बात के लिए निर्योग्य नहीं किया जा सकेगा। राजनीतिक निधी का अंकेक्षण सामान्य लेखे का अंकेक्षण के साथ किया जायेगा तथा जो अंकेक्षण सामान्य लेखे का अंकेक्षण करेगा वही इसका भी अंकेक्षण करेगा।

17. **वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना** :– ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 की धारा–28 के अनुसार महामंत्री, ट्रेड यूनियन के निबंधक के पास प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक संघ का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।

18. **नियमावली का संशोधन, परिवर्तन या रद्द किया जाना** :– ट्रेड यूनियन के अधिनियम के अभिभावी उपघारों के अधीन हुए, संघ को कोई भी नियम सामान्य निकाय की बैठक में सदस्यों के बहुमत द्वारा संशोधित, परिवर्तित या रद्द किया जा सकेगा। उपर्युक्त बैठक के 15 दिनों के भीतर नियम या नियमों में किये गए परिवर्तन की सूचना निबंधक के पास भेज दी जायेगी परिवर्तन को तबतक प्रभावी न माना जायेगा, जबतक उसका निबंधन हो जाय और इस निमित श्रमिक संघ के निबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त न हो जाय।

19. **हड़ताल** :– संघ हड़ताल पर जाने का निर्णय तबतक न लेगा जबतक सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौते के लिए किये गये सभी प्रयास विफल नहीं हो जायें। हड़ताल तबतक न की जायेगी, जबतक इस प्रयोजन से बुलायी गयी बैठक में सदस्यों का सामान्य निकाय इस सम्बंध में अपना अनुमोदन नहीं दे दें। यदि कोई हडताल उस

समय प्रस्तुत किसी निधि के प्रतिकुल होगी, तो संघ ऐसी हडताल का न तो आयोजन करेगा और न उसे प्रोत्साहन ही देगा।

20. **<u>संघ का विघटन</u>–** संघ का तभी विघटन किया जायेगा जबकि इस संबंध में निर्णय इस प्रयोजन से बुलायी गई आम सभा में सदस्यों के बहुमत से लिया जायेगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बैठक का कोरम संघ के कुल सदस्यों के तीन चौथाई सदस्यों से पूरा होगा। संघ का विघटन हो जाने पर संघ के महामंत्री और उसके सात सदस्यों के हस्ताक्षर से एक नोटिस, निबंधन प्रमाण–पत्र के साथ, विघटन के 14 दिनों के भीतर निबंधक के पास विघटन के लिए भेज दी जायेगी तथा वह विघटन ऐसे निबंधन की तारीख से प्रभावी होगा। उपर्युक्त बैठक में ही यह भी निर्णय ले लिया जायेगा कि विघटन के बाद संघ का निधि का खर्च किस प्रकार किया जायेगा।

दिनांक **संघ के अध्यक्ष या महामंत्री का हस्ताक्षर**